



राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़
GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE JHALAWAR

Village Chandloi, Sanel Road, Tehsil-Jhalrapatan, Dist. - Jhalawar - (Rajasthan)
Telfax.No.+91-07432-242814 (O)242812, Email:govtecj@gmail.com, Website:www.gecj.ac.in

Ref. No.GECJ/17-18/Hostel (F11)

Date: 14/8/17

Order

सत्र 2017-18 के लिये छात्रावासों का वार्षिक शुल्क


S.No.	Hostel	Administrative charges* + (Caution Money for new students) Fee in Rs.
01	Boys (New students) B.Tech, MBA, BBA, BCA 1 Yr. (4 Seater Room)	17800.00 + 2000 = 19800/-
02	(LEEP students) (new students)	17800.00 + 2000 = 19800/-
03	Boys (Old Students) B.Tech. II, III, IV Yr. (4 Seater Room)	17800.00
04	Girls (New students) B.Tech., MBA, BBA, BCA 1 Yr. (3 Seater Room)	20800 + 2000 = 22800/-
05	Girls (LEEP) (New Students)	20800 + 2000 = 22800/-
06	Girls (Old Students) B.Tech. II, III, IV Yr. (3 Seater Room)	20800/-

01. छात्रावास में दिनांक 16.08.2017 से प्रवेश प्रारम्भ होगा।
02. *ऐडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज में मैसेस चार्जेज सम्मिलित नहीं हैं। क्योंकि महाविद्यालय में इस सत्र से छात्रों द्वारा छात्र / छात्रा छात्रावास में कोपरेटिव मैसेस का संचालन किया जायेगा। ऐडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज में केवल रूम का किराया, बिजली - पानी का खर्चा, मैसेस परिसर किराया और होस्टल ऐडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज सम्मिलित हैं।
03. नवीन प्रवेशार्थी को छात्रावास शुल्क के अतिरिक्त काशन ननी (रिफण्डेबल) राशि रुपये 2000/- जमा करानी होगी। प्रवेशार्थी महाविद्यालय में 16.08.2017 से 25.08.2017 तक छात्रावास शुल्क जमा करवायें। विद्यार्थियों को निर्धारित शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट, Principal Govt. Engineering College Jhalawar के नाम बनवाना है साथ ही प्रोक्टर कार्यालय से छात्रावास का निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करके, वार्डन की आवश्यक कार्यवाही/स्वीकृति के पश्चात लेखा शाखा में जमा करानी होगी।

S.P.O.


amr

4. विद्यार्थी जो मानसिक या शारिरिक बीमारी से ग्रस्त है, छात्रावास में प्रवेश लेना वर्जित है। विद्यार्थी बीमारी को छिपा कर छात्रावास में प्रवेश लेता है और महाविद्यालय प्रशासन को ज्ञात होने पर तुरन्त प्रभाव से छात्रावास से प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा और आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
05. विद्यार्थी अपने सामान जैसे लेपटॉप,मोबाईल, धन राशि, ए टी एम कार्ड, केलकुलेटर इत्यादि की सुरक्षा स्वयं की होगी। छात्रावास से चोरी या गायब हो जाने पर महाविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
06. यह आवश्यक /अनिवार्य नहीं है कि वर्तमान सत्र में रह रहे विद्यार्थी को आगामी सेमेस्टर/सत्र में छात्रावास में प्रवेश दिया जायेगा।
07. यदि कोई विद्यार्थी महाविद्यालय के छात्रावास की सम्पत्ती को नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही के साथ आर्थिक दण्ड की भी कार्यवाही की जायेगी।
08. यदि कोई विद्यार्थी सत्र के बीच में छात्रावास से प्रवेश को रद्द करने के लिये निवेदन करता है तो कॉसन मनी के अतिरिक्त किराी भी तरह की फीस महाविद्यालय द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।
09. महाविद्यालय के छात्रावासों में छात्र/छात्राओं के लिये महाविद्यालय की ओर से चिकित्सा सुविधा हेतु महाविद्यालय के वाहन से परिवहन की सुविधा केवल रात्रि के समय अतिरिक्त शुल्क पर उपलब्ध करवाना संभव हो सकता है।
10. छात्रावास शुल्क 26.08.2017 से 31.08.2017 तक विलम्ब शुल्क राशि रुपये 500.00 के साथ जमा किया जायेगा।
11. विलम्ब शुल्क डी.डी. के महाविद्यालय की लेखा शाखा में प्रस्तुत करने वाली दिनांक के अनुरूप होगा।
12. द्वितीय,तृतीय तथा चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थी छात्रावास फार्म के साथ पिछले वर्ष की फीस की छायाप्रति एवं गत सेमेस्टर की अंकतालिका संलग्न करनी आवश्यक है।


प्राचार्य

प्रतिलिपि :-

1. कुलसचिव
2. वार्डन छात्र,फन्या छात्रावास
3. लेखा शाखा
4. अकादमिक शाखा
5. निजी सहायक, प्राचार्य
6. महाविद्यालय वेबसाईट
7. नोटिस बोर्ड


चीफ वार्डन